न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉं जिला बून्दी(राज0)

वाद पत्र संख्या :–20/2018 दायर दिनांक: 14.06.2019

CMS NO:- 2019/00349

पीठासीन अधिकारी :–श्योराम (आर.ए.एस.)

महावीर मीना पुत्र छोटूलाल जाति मीना निवासी देईखेडा तहसील के0 पाटन हाल निवासी देई तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।

–वादी –

बनाम

1. राधेश्याम पुत्र शिवदत्त जाति ब्राह्मण निवासी पुरोहित जी की गली बून्दी जिला बून्दी।
2. छोटूलाल पुत्र शिवदत्त जाति ब्राह्मण निवासी पुरोहित जी की गली बून्दी जिला बून्दी।
3. भूमिधारी जर्ये तहसीलदार साहब, नैनवां तहसील नैनवां जिला बून्दी।
4. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी. आई बैंक शाखा देई तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
5. सुशील पत्नी जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी जजावर तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
6. महेश पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी जजावर तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
7. सुरेश पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी जजावर तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
8. सोनू पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी जजावर तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
9. चन्द्रेश कुमारी पुत्री जगदीश प्रसाद हाल पत्नी मुकेश जाति ब्राह्मण निवासी कैथुदा तहसील नैनवॉं जिला बून्दी।
10. विजयलक्ष्मी पुत्री जगदीश प्रसाद हाल पत्नी अनुराग जाति ब्राह्मण निवासी प्रताप नगर भीलवाडा।
11. माया पुत्री जगदीश प्रसाद हाल पत्नी कालूशंकर जाति ब्राह्मण निवासी रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाडा।

–प्रतिवादीगण–

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 53 व 188 आर.टी एक्ट

उपस्थितिः–

वादी की ओर से वकील

निर्णय दिनांक 04.02.2022

संक्षेप में वाद पत्र का कथन इस प्रकार है कि ग्राम जजावर पटवार हल्का जजावर तहसील नैंनवां की वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खातेदारी की भूमि खसरा सं. 2070/01–01, 2071/02–12, 2072/02–11, 2077/02–14, 2095/01–02 कुल किता 5 कुल रकबा 10–00 बीघा भूमि स्थित है। यह किवाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का सयुक्त हिस्सा 1/3 खसरा संख्या 2077 रकबा 02 बीघा 14 बिस्वा तथा शेष भूमि 2/3 पर वादी काबिज काश्त तथा जमाबंदी में दर्ज है। यह कि वादी व प्रतिवादीगण के मध्य विधिवत विभाजन नही होने के कारण खेत का विकास करने तथा ऋण आदि लेने में समस्या आती है। यह वाद का कारण है। अतः वादी को अधिकार प्राप्त है कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि का विभाजन वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक हिस्सा का विधिवत रूप से किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।तथा प्रतिवादीगण 1 व 2 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन में नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 1, नकल जमाबन्दी प्रदर्श 2, वरिष्ट सिविल न्यायाधीश के निर्णय की प्रतिलिपी प्रदर्श 3 तथा बयानों के शपथ–पत्र वादी महावीर मीणा तथा गवाह सत्यनारायण नागर, गवाह वादी हेमराज माली आदि पेश किये।

वादी का वाद स्वीकार किया जाकर दिनांक 14.12.2[illegible] प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में ग्राम जजावर पटवार हल्का जजावर तहसील नैनवां भूमि खसरा सं. 2070/01–01, 2071/02–12, 2072/02–11, 2077/02–[illegible] कुल रकबा 10–00 बीघा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.20 13:28:05 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)

Scanned with CamScanner

...का विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार नैनवां से प्राप्त किया गया। जिसके अनुसार बंटवारा प्रस्ताव निम्नानुसार है–

क्रम संख्या	नाम	खसरा	रकबा
1.	महावीर प्रसाद आ0 छोटूलाल जाति मीणा सा0 देईखेड़ा तहसील के0पाटन रहन आईसीआईसीआई बैंक शाखा देई	2072 2095 2071	0.3802 0.1699 0.3668
	कुल	किता 3	0.9169
2.	छोटूलाल आ0 शिवदत्त हि0 1/2 राधेश्याम आ0 शिवदत्त हि0 1/2 जाति ब्राह्मण सा. बून्दी खाते	2077 2071/1	0.4369 0.0215
	कुल	किता 2	0.4584

हमने वाद पत्र, शपथ पत्र, प्रस्तुत रिकॉर्ड दस्तावेज, बंटवारा रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा वाद पत्र में बहस सुनी गयी। वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। बंटवारा प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिकरी किये जाने के आदेश दिये जाते है। ग्राम जजावर पटवार हल्का जजावर तहसील नैनवां की भूमि खसरा सं. 2070/01–01, 2071/02–12, 2072/02–11, 2077/02–14, 2095/01–02 कुल किता 5 कुल रकबा 10–00 बीघा भूमि का विभाजन निम्नानुसार किये जाने के आदेश दिये जाते है–

क्रम संख्या	नाम	खसरा	रकबा
1.	महावीर प्रसाद आ0 छोटूलाल जाति मीणा सा0 देईखेड़ा तहसील के0पाटन रहन आईसीआईसीआई बैंक शाखा देई	2072 2095 2071	0.3802 0.1699 0.3668
	कुल	किता 3	0.9169
2.	छोटूलाल आ0 शिवदत्त हि0 1/2 राधेश्याम आ0 शिवदत्त हि0 1/2 जाति ब्राह्मण सा. बून्दी खाते	2077 2071/1	0.4369 0.0215
	कुल	किता 2	0.4584

नजरी नक्शा बंटवारा प्रस्ताव को परिशिष्ट "क" नाम दिया गया है, जो इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के विभाजन से हिस्से में आयी भूमि पर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न तो स्वयं करें न ही किसी से करवायें। तहसीलदार नैनवां को डिकरी पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 04.02.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नैनवां
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां (बून्दी)।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shyoram
Date: 2022.04.20 13:28:05 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner